

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप सं०-6/खा०म० जहानाबाद-08/2012- (6)/रा०, पटना-15, दिनांक- / / 2013

सेवा में,

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं हकदारी),
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग।

विषय :- मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-24.06.2013 के मद संख्या-24 में दी गई स्वीकृति के आलोक में जहानाबाद जिलान्तर्गत महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण हेतु अंचल-जहानाबाद मौजा-जमुआवाँ थाना नं०-352 खाता नं०-224, 152, 295 खेसरा नं०-315, 316, 321 क्रमशः रकबा-1.00, 1.80 एवं 1.31 कुल रकबा-4.11 एकड़ गैर मजरूआ मोकरीदारान परती भूमि श्रम संसाधन विभाग, बिहार को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

2. स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लौट जाएगी।

3. अन्य शर्तें खास महाल मैनुअल के प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के तहत मान्य होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

क०प०उ०

ज्ञापांक-6/खा0म0 जहानाबाद-08/2012- (6)/रा०, पटना-15, दिनांक- / /2013
प्रतिलिपि:-समाहर्ता, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मूल अभिलेख
संख्या-7/12-13 संलग्न कर लौटाया जा रहा है।

निबंधित
डाक से

ह0/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-6/खा0म0 जहानाबाद-08/2012- 885 (6)/रा०, पटना-15, दिनांक- 15/7 /2013
प्रतिलिपि:-आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को उनके कार्यालय पत्रांक-2694 दिनांक-20.09.12 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

फैक्स

E-mail

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव